आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का विनियमन

प्रिलिम्स के लिये:

PMLA, VDA, क्रिप्टोकरेंसी, फिएट मुद्रा।

मेन्स के लिये:

आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का विनियमन करना।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने धन शोधन रोधी प्रावधानों **(Anti-money Laundering provisions)** का दायरा आभासी डिजिटल परिसंपत्ति **(Virtual Digital Assets- VDA)** व्यवसायों एवं सेवा प्रदाताओं तक बढ़ा दिया है।

- मंत्रालय ने अधिनियम के तहत VDA और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित गतिविधियों को शामिल कर **धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act- PMLA), 2002** का दायरा बढ़ाया है।

PMLA 2002 के तहत VDA को शामिल करने की प्रक्रिया:

- **विस्तारित गतिविधियाँ:**
  - VDA और **फिएट मुद्राओं** के बीच विनिमय (केंद्र सरकार द्वारा कानूनी निविदा)।
  - VDA के एक या अधिक रूपों के बीच आदान-प्रदान।
  - VDA का स्थानांतरण।
  - VDAs या VDAs पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन।
  - जारीकर्त्ता की पेशकश और VDA की बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी एवं प्रावधान।
- अब VDA को **वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (Financial Intelligence Unit-India- FIU-IND)** के साथ एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना होगा।
  - FIU-IND संयुक्त राज्य अमेरिका में FinCEN के समान कार्य करती है। वित्त मंत्रालय के तहत इसे वर्ष 2004 में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण एवं प्रसारित करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
  - उदाहरण के लिये CoinSwitch जैसे रिपोर्टिंग इकाई प्लेटफॉर्म अब नो योर कस्टमर, सभी लेन-देन रिकॉर्ड एवं निगरानी करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर FIU-IND को रिपोर्ट करने के लिये अधिकृत हैं।
- **वैश्विक दिशा-निर्देशों के अनुरूप:** यह **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** और **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** द्वारा जोखिम को कम करने हेतु निर्देशित वैश्विक दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
  - FATF के पास वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) की व्यापक परिभाषा के साथ-साथ बिचौलियों, दलालों, एक्सचेंजों, कस्टोडियन, हेज फंड और यहाँ तक कि खनन निकायों को सम्मिलित करने वाली एक व्यापक सूची है।
  - इस तरह के दिशा-निर्देश वर्चुअल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के नियमन और निरीक्षण में VASP की भूमिका को स्वीकार करते हैं।

पहल का महत्त्व और उससे संबंधित चिंताएँ:

- **महत्त्व:**
  - इस तरह के नियम पहले से ही बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्रतिभूतियों तथा अचल संपत्ति संबंधी बाज़ारों में कुछ मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

    - **इसे वर्चुअल डिजिटल परसिंपत्तियों तक वसि्तारति** करने से इस प्लेटफॉर्म को अधिक सतर्कता से निगरानी करने और कदाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मलिगी।
    - ऐसे मानदंडों का मानकीकरण **भारतीय वर्चुअल डिजिटल परसिंपत्ति क्षेत्र को पारदर्शी बनाने में काफी मदद करेगा।**
    - यह पारस्थितिकी तंत्र में विश्वास स्थापित करेगा और सरकार को वर्चुअल डिजिटल परसिंपत्ति लेन-देन पर अधिक निगरानी करने में मदद करेगा जो सभी के लिये फायदेमंद होगा।
- **चिंताएँ:**
    - एक केंद्रीकृत नियामक की अनुपस्थिति में **VDA संस्थाओं को** प्रवर्तन निदेशालय **जैसे अभिकरणों के साथ सीधे व्यवहार**